सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 38 राँची, शुक्रवार, 2 पौष, 1938 (श०) / 23 दिसम्बर, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

18 अक्टूबर, 2016

कृपया पढ़ें :-

1. गृह विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-3331, दिनांक 14 अगस्त, 2010 एवं पत्रांक-3018, दिनांक 12 जून, 2014

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-615, दिनांक 20 जनवरी, 2012, पत्रांक-8103, दिनांक 12 जुलाई, 2012, संकल्प संख्या-3387, दिनांक 15 अप्रैल, 2015 एवं पत्रांक-1566, दिनांक 15 फरवरी, 2016

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-402, दिनांक 13 अगस्त, 2015

संख्या-5/आरोप-1-82/2014 का.- 8929-- श्री विनय कुमार सिंकू, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-566/03, गृह जिला- सिंहभूम) के अनुमंडल पदाधिकारी, राँची के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप गृह विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-3331, दिनांक 14 अगस्त, 2010 द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अंकित आरोप का विवरण निम्नवत् है-

"शेर सिंह राणा, जो फूलन देवी (तत्कालीन सांसद) हत्याकांड के आरोपी हैं, द्वारा छद्म नाम संजय कुमार गुप्ता, पे०- पदभवानी गुप्ता, राज मेनसन बिल्डिंग, नियर हिनू ब्रीज, थाना-डोरंडा, जिला-राँची के पते पर पासपोर्ट प्राप्ति हेतु फाईल नं०-ए-004609/04 दिनांक 23 अप्रैल, 2004 द्वारा आवेदन दिया गया । पारपत्र सत्यापन हेतु थाना स्तर से अपर निरीक्षक, रवीन्द्र कुमार, डोरंडा थाना द्वारा जाँच किया गया, जिसमें उन्होंने संजय कुमार गुप्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल सूचना नहीं होने का उल्लेख करते हुए दिनांक 8 अप्रैल, 2004 को प्रतिवेदन दिया, जिसे पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी, डोरंडा श्री राम रेखा सिंह द्वारा अग्रसारित करते हुए अपने पत्रांक-1405, दिनांक 9 जून, 2004 द्वारा भेजा गया ।

विशेष शाखा के पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में "आवेदक वर्तमान पता से करीब एक वर्ष पूर्व कही दूसरे जगह चले गये हैं, जो पूछताछ से स्पष्ट जानकारी नहीं है", अंकित करते हुए अपने ज्ञापांक-2098(2), दिनांक 23 सितम्बर, 2004 के द्वारा भेज दी गयी ।

इस बीच पासपोर्ट पदाधिकारी, राँची द्वारा तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, राँची श्री विनय कुमार सिंकू के पत्रांक-921/गो०, दिनांक 22 मई, 2004 के अन्तर्गत समर्पित फार्म- जी (वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट) के आधार पर तत्काल सेवा के तहत् संजय कुमार गुप्ता को पारपत्र संख्या-ई-7865857, दिनांक 24 मई, 2004 को ही जारी कर दिया गया । बाद में ज्ञात हुआ कि स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस द्वारा सांसद फूलन देवी हत्याकांड के अभियुक्त शेर सिंह राणा, जो तिहार जेल से फरार था, को गिरफ्तार किया गया था, फरारी अवस्था में ही राँची से अपना नाम एवं पता बदल कर संजय कुमार गुप्ता के नाम पर उक्त पासपोर्ट बनवाने में सफल रहा । इससे स्पष्ट है कि थाना स्तर एवं विशेष शाखा स्तर से सत्यापन के पूर्व ही दिनांक 22 मार्च, 2004 (संशोधित तिथि 22 मई, 2004) को तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, श्री सिंकू द्वारा पारपत्र जारी कर देने की गलत अनुशंसा किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 24 मई, 2004 को पारपत्र जारी कर दिया गया, जिसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी, श्री सिंकू जिम्मेवार हैं।"

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-615, दिनांक 20 जनवरी, 2012 द्वारा श्री सिंकू से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक-223, दिनांक 8 फरवरी, 2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्री सिंकू के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-8103, दिनांक 12 जुलाई, 2012 द्वारा गृह विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गयी एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया । गृह विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-3018, दिनांक 12 जून, 2014 द्वारा उपलब्ध कराये मंतव्य में इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत कर दिया गया । अतः विभागीय संकल्प संख्या-3387, दिनांक 15 अप्रैल, 2015 द्वारा श्री सिंकू के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-402, दिनांक 13 अगस्त, 2015 द्वारा श्री सिंकू के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान निम्नवत् हैं-

(क) श्री सिंकू का कहना है कि संजय कुमार गुप्ता, पिता- पदयोगी भवानी गुप्ता, हिनू, राँची द्वारा पासपोर्ट निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया था, जिसे आरोपी पदाधिकारी द्वारा आवेदन के पाश्र्व में "कृपया आचरण एवं आवास का जाँच कर अपना एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ भेजना सुनिश्चित करें" लिखते हुए थाना प्रभारी, डोरंडा को दिनांक 19 मई, 2004 को अग्रसारित किया गया था । उक्त आवेदन को दिनांक 19 मई, 2004 को ही थाना प्रभारी द्वारा अवर निरीक्षक, श्री रवीन्द्र कुमार को भेजते हुए जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु निदेश दिया गया था ।

(ख) श्री रवीन्द्र कुमार, अवर निरीक्षक द्वारा जाँच कर उक्त आवेदन के पाश्र्व में यह लिखते हुए "आवेदक के चरित्र का सत्यापन किया गया। नाम वो पता सही है । थाना अभिलेख में इनके विरूद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं है", दिनांक 21 मई, 2004 को थाना प्रभारी के समक्ष आवेदन को वापस किया गया था और थाना प्रभारी, डोरंडा ने उसी दिन 21 मई, 2004 को जाँच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, राँची को अग्रसारित कर दिया था ।

(ग) उक्त प्रतिवेदन के आधार पर ही श्री सिंकू द्वारा दिनांक 22 मई, 2004 को क्रमांक-921/सी०, दिनांक 22 मई, 2004 द्वारा सत्यापन सर्टिफिकेट निर्गत किया गया था । स्पष्ट है कि श्री गुप्ता के आवेदन पर थाना प्रभारी, डोरंडा के सत्यापन दिनांक 21 मई, 2004 के पश्चात् ही सत्यापन सर्टिफिकेट निर्गत किया गया था । आरोप पत्र में अंकित तिथि 22 मार्च, 2004 को कोई सत्यापन प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया था ।

(घ) आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि विशेष शाखा द्वारा उनसे किसी प्रतिवेदन की माँग नहीं की गयी थी ।

(ङ) इनका कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी को विविध प्रकार के अनके कार्यों का निष्पादन करना पड़ता है । इसलिए उनके द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों से कुछ कार्यों का निष्पादन कराया जाता है तथा कुछ अन्य सरकारी कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कई कार्यों का निष्पादन किया जाता है । उदाहरण स्वरूप जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, पारीवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र हेतु हल्का कर्मचारी/अंचल पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है । पासपोर्ट/चारित्री प्रमाण-पत्र इत्यादि संबंधित थाना के प्रतिवेदन पर निर्गत किया जाता है । प्रत्येक प्रतिवेदन का अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्वयं भौतिक सत्यापन कर जाँचोपरान्त प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना संभव नहीं है ।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य निम्नवत् हैं-

(क) आरोप में तथ्यात्मक त्रुटि है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2004 को अनुशंसा नहीं की गयी थी। उनके द्वारा दिनांक 22 मई, 2004 को Verification certificate हस्ताक्षरित किया गया था ।

(ख) आवेदक श्री संजय कुमार गुप्ता को आरोपी पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। अनुमंडल पदाधिकारी की हैसियत से उन्होंने स्थानीय थाना प्रभारी से स्थलीय जाँच कराकर जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित तथ्यों के आधार पर Good faith में Verification certificate निर्गत किया था ।

(ग) श्री रवीन्द्र कुमार, अवर आरक्षी निरीक्षक और श्री रामरेखा सिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी, डोरंडा ने सत्यापन के दोनों Channels को अपने मन मुताबिक प्रभावित किया था । इस कारण छुपाये गये तथ्य को आसानी से उजागर नहीं किया जा सकता था । श्री रामरेखा सिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी, डोरंडा ने भी अवर निरीक्षक के प्रतिवेदन को अग्रसारित कर जाँच प्रतिवेदन की Integrity को सम्पुष्ट कर दिया था । ऐसी स्थिति में फर्जीवाड़ा को वरीय स्तर पर रोक पाना संभव नहीं था । थाना प्रभारी, डोरंडा के इसी जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा सत्यापन प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया था ।

(घ) आरोपी पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल कार्यालय, राँची में पूर्व में चली आ रही प्रक्रिया को अपनाते हुए कार्य किया गया था । कोई गलत मंशा अथवा mens rea (Criminal intention) से प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया था । अतः आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं ।

आरोपी पदाधिकारी श्री सिंकू के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी श्री विनय कुमार सिंकू द्वारा पासपोर्ट निर्गत करने जैसे मामले के विषय की गंभीरता के आलोक में सतही प्रतिवेदन प्राप्त कर ही गलत Verification certificate निर्गत किया गया। Verification certificate में छद्मनामी श्री संजय कुमार गुप्ता को तीन वर्ष से अधिक अवधि से निवास करने संबंधी प्रतिवेदन न तो थाना प्रभारी के प्रतिवेदन में था, न ही आवेदक के आवेदन में था । अतः संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला होने के कारण आरोपित पदाधिकारी को गुरुत्तर दंड अर्थात् इन्हें नीचे के पद पर पदावनति का दण्ड अधिरोपित किये जाने के संबंध में विभागीय पत्रांक-1566, दिनांक 15 फरवरी, 2016 द्वारा श्री सिंकू से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया ।

श्री सिंकू के पत्रांक-1257, दिनांक 20 मई, 2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया । द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है:-

(क) इनके द्वारा कहा गया है कि अनुमंडल कार्यालय, राँची में पूर्व से चली आ रही प्रक्रिया को अपनाते हुए कार्य किया था एवं प्रमाण पत्र निर्गत करने में उनकी कोई गलत मंशा अथवा आपराधिक प्रवृति नहीं थी ।

(ख) विभागीय कार्यवाही में इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित नहीं हुए है ।

(ग) संचालन पदाधिकारी द्वारा भी अपने निष्कर्ष में यह उल्लेख किया गया है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है, जैसा कि विभागीय समीक्षा में उल्लेख है । अतः राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला को आधार बनाते हुए इतनी बड़ी सजा नहीं दी जाय ।

श्री सिंकू के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में समर्पित तथ्यों की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि श्री सिंकू द्वारा पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण कागजात को निर्गत करने के पूर्व, बिना विषय की गंभीरता को ध्यान में रखे हुए, सतही प्रतिवेदन प्राप्त कर, गलत Verification certificate निर्गत किया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है । Verification certificate में छद्मनामी श्री संजय कुमार गुप्ता का तीन वर्ष से अधिक अवधि से निवास करने संबंधी प्रतिवेदन न तो थाना प्रभारी, डोरंडा के द्वारा दिया गया था, न ही आवेदक के आवेदन में था । ऐसे में उनके द्वारा दिये गये गलत तथ्यों को अंकित कर Verification certificate निर्गत किया गया, जिसके लिए वे पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी है । यह कहना कि "तत्काल" प्रक्रिया के अन्तर्गत Passport हेतु Verification certificate निर्गत करना अनुमंडल कार्यालय में पूर्व से चली आ रही प्रक्रिया के अधीन किया गया है, श्री सिंकू का अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी एवं जवाबदेही से बचने का प्रयास है, जिसे अस्वीकृत किया जा सकता है । उनकी इस लापरवाह एवं गैर जिम्मेदाराना कृत्य के चलते एक अभियुक्त, अपनी फरारी अवस्था में पासपोर्ट हासिल करने में सफल हुआ, जिससे सम्पूर्ण प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिह्न खड़ा हुआ एवं राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई । एक अनुमंडल पदाधिकारी की हैसियत से श्री सिंकू को पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराने का कर्तव्य था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया । इस प्रकार श्री सिंकू अनुमंडल पदाधिकारी, राँची के पद पर रहते हुए सांसद फूलनदेवी हत्या कांड के अभियुक्त श्री शेर सिंह राणा को संजय कुमार गुप्ता के नाम से पासपोर्ट जारी करने संबंधी गलत Verification certificate देने के लिए पूर्णरूपेण दोषी हैं ।

समीक्षोपरांत, श्री सिंकू से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए इन पर पूर्व में प्रस्तावित दण्ड, यथा- नीचे के पद पर पदावनति का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । नीचे के पद पर पदावनति के दण्ड अधिरोपण की निम्नवत् शर्तें रहेंगी-

(i) श्री सिंकू वर्तमान में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अन्तर्गत संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (वेतनमान 37400-67000/-, ग्रेड पे० 8700) में कार्यरत हैं । अतः इन्हें अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि (वेतनमान 15600-39100/-, ग्रेड पे० 7600) में पदावनत/प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(ii) अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि (वेतनमान 15600-39100/-, ग्रेड पे० 7600) में पदावनत/प्रत्यावर्तन की अवधि पाँच वर्षों तक प्रभावी रहेगी । इसका प्रभाव समाप्त होने के पश्चात उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु विहित कालावधि पूर्ण करने पर उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु नियमानुसार विचार किया जा सकेगा ।

(iii) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2003 की मूल वरीयता में श्री सिंकू की वरीयता अप्रभावित रहेगी ।

(iv) पदावनत/प्रत्यावर्तित कोटि के अनुसार वेतनमान/वेतनवृद्धि निर्धारित होगी । यदि उन्हें सुनिश्चित वृति उन्नयन (ACP)/ संशोधित (MACP) प्राप्त है तो, वेतनमान/ वेतनवृद्धि तद्नुसार अपरिवर्तित रहेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 38--50